माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 12वीं बैठक, दिनांक 30.07.2019 की कार्यवाही।

1. उपस्थिति– अनुलग्नक 'I' पर ।
2. बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतियों एवं बैठक में उठाए विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

2.1 – गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि–संपुष्ट किया गया।

2.2 – विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा

क्र0सं0	विषय / प्रस्ताव	निर्णय / निदेश	अनुपालन का दायित्व
	1	2	3
i	DDMA का सुदृढ़ीकरण	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में स्वतंत्र रूप से उप समाहर्ताओं के शीघ्र पदस्थापन का निर्णय हुआ। प्राधिकरण उन उप समाहर्त्ताओं को प्रशिक्षित करेगा।	पदस्थापन : सामान्य प्रशासन विभाग। वेतनादि : आपदा प्रबंधन विभाग।
2	राज्य के सभी सरकारी अस्पताल भवनों / सरकारी विद्यालयों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों का चरणबद्ध ढंग से RVS करा कर इनके Retrofitting का कार्य कराया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालयों में Retrofitting कार्य करवा रहे हैं।	निर्णय हुआ कि विकास आयुक्त भवन निर्माण विभाग के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों विभागों की बैठक बुला कर RVS एवं Retrofitting कार्यों का समन्वय करें। शिक्षा विभाग अपने बजट में आवश्यकतानुसार राशि का प्रावधान करेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार इन कार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।	विकास आयुक्त शिक्षा विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3	स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि BMSICL द्वारा सभी नए भवनों को भूकम्परोधी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी पुराने अस्पताल भवन हैं, सबका सर्वे करा रहे हैं।	निर्णय हुआ कि BMICL एवं भवन निर्माण विभाग के जिन अभियंताओं को प्राधिकरण द्वारा RVS एवं Retrofitting का प्रशिक्षण दिया गया है, उनके सहयोग से अस्पताल भवनों का RVS /Retrofitting कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग इन कार्यों के लिए अपने बजट में आवश्यकतानुसार राशि का प्रावधान करेगा एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।	विकास आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

291

4(i)	(i) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि NDMA के सहयोग से चलायी गई आपदा मित्र परियोजना के अंतर्गत सुपौल एवं सीतामढ़ी जिले के 200–200 युवकों /युवतियों को सामुदायिक स्वयंसेवकों के नाम से प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि प्राधिकरण ने राज्य की हर पंचायत से 10 लोगों को बहु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तैयार किया है। प्रशिक्षण सामग्री का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यह प्रशिक्षण दीर्घ कालीन होगा।	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर जीविका समूहों को भी प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण का नाम सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जा सकता है तथा इसमें वार्ड सदस्य, विकास मित्र आदि को शामिल किया जा सकता है।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्रामीण विकास विभाग जीविका
(ii)	वर्ष 2017 में 4 बाढ़ग्रस्त जिलों में प्राधिकरण द्वारा भेजी टीमों के अध्ययन प्रतिवेदन से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था। निदेशानुसार अध्ययन दल के प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिलों से मंतव्य मांगा गया जो अप्राप्त है।	निदेशित किया गया कि मंतव्य माननीय मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाए।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5	आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा नावों के निर्माण/खरीद में रख रखाव की समस्या उत्पन्न होती है तथा एक दो साल में नावें टूट जाती हैं। इसके स्थान पर निजी नाव खरीदने वालों को 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देकर उनसे अनुबंध करा लिया जाय कि वे बाढ़ के समय अपनी नावें उपलब्ध कराएँगे जिसके लिए एक निश्चित राशि नाव मालिकों को भुगतान की जाएगी।	"प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि सरकारी नावों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था के अभाव में सरकारी नाव अपेक्षाकृत अल्प अवधि में ही क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उनके द्वारा निम्न सुझाव दिया गया :– i. जिलों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में निजी देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर प्रयास केन्द्रित किया जाय। ii. इसके लिए निजी नाव मालिकों के साथ इस आशय का एकरारनामा किया जाय कि मॉनसून अवधि के दौरान 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक वे अपना नाव (परिचालन योग्य एवं अच्छी स्थिति में) जिला प्रशासन को तीन माह के लिए एक	आपदा प्रबंधन विभाग

		मुश्त निर्धारित भाड़ा पर उपलब्ध करायेंगे। iii. भाड़े का निर्धारण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा किया जायेगा जो अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने स्तर से प्रत्येक जिले में निजी नावों (छोटी, मंझौली एवं बड़ी) के निर्धारित संख्या में रखने की अनुमति देंगे एवं नावों (छोटी, मंझौली एवं बड़ी) के भाड़े का निर्धारण अपने प्रमंडल के सभी जिलों के लिए समान रूप से करेंगे। iv. उक्त अवधि के दौरान भाड़े पर लिये गये नावों के देख–रेख एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित नाव मालिक की होगी। v. उन्हीं नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जायेगा, जिनके नावों का निबंधन हो तथा सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। vi. उक्त अवधि के दौरान बाढ़ की स्थिति में अथवा आवागमन हेतु यदि भाड़ा पर लिये गये निजी नाव के परिचालन की आवश्यकता होती है, तो नाविक की व्यवस्था भी संबंधित नाव मालिक के द्वारा की जायेगी। नाविकों के मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार देय होगा। vii. प्रत्येक नाव के लिए अलग–अलग लॉगबुक खोला जायेगा, जो नाव पर ही उपलब्ध रहेगा। लॉगबुक का सत्यापन प्रत्येक तीन दिन में एक बार हल्का कर्मचारी अथवा अंचल अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा किया जायेगा। viii. निजी नाव के भाड़ा एवं नाविकों के मजदूरी का भुगतान आबादी निष्क्रमण मद से किया जायेगा। भाड़ा पर लिये गये निजी नावों के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान (तीन माह के लिए) 15 अक्टूबर तक कर दिया जायेगा। नाविकों के मजदूरी का भुगतान नावों के वास्तविक परिचालन अवधि/दिवस के	

289.

		आधार पर किया जायेगा।	
6	उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सभी DDMAs द्वारा अपने–अपने जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करनी हैं जिनका अनुमोदन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा किया जाना है। DDMAs की सीमित क्षमता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने BSDMA से अनुरोध किया था कि वह जिलों के उनकी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार कराने में सहयोग करे। तद्नुसार BSDMA द्वारा निविदा की प्रक्रिया अपना कर जिलों की मदद हेतु एजेन्सियों का चयन किया गया था। चयनित एजेन्सियों के सहयोग से 33 जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रारूप जिलों ने तैयार कर लिया है। इनमें से 13 योजनाओं का प्रारूप अनुमोदन हेतु BSDMA को प्राप्त हुआ है। प्रारूपों की जांच कर 3 योजना प्रारूप BSDMA के उपाध्यक्ष/सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर माननीय मुख्यमंत्री –सह– अध्यक्ष के अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव के माध्यम से प्रेषित है।	निर्णय हुआ कि योजनाएँ भारी भरकम नहीं हों बल्कि संक्षिप्त एवं व्यवहारिक रहें, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य में की गयी व्यवस्थाओं का समावेश रहें।"	मुख्य सचिव सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
7	उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 12 नगर निगमों के City Disaster Management Plan तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा द्वारा चयनित एजेन्सियों के सहयोग से नगर निगम अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे तथा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग दिया जाएगा।	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों की आपदा प्रबंधन योजनाएँ चरणबद्ध रूप से तैयार की जाएँ। योजनाएँ जिलों के साथ समन्वय कर तैयार हों, क्योंकि नगर जिला विशेष के ही अंग होते हैं।	सभी नगर निकाय नगर विकास विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

8	आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वज्रपात से सुरक्षा हेतु चेतावनी तंत्र की स्थापना संबंधी कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा जन–जागरूकता को केन्द्र में रखकर वज्रपात सुरक्षा पर मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है।	माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निदेशित किया कि पूर्व चेतावनी तंत्र शीघ्र स्थापित एवं कार्यरत किया जाए। साथ ही प्राधिकरण वज्रपात से सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शिका को भी यथाशीघ्र अंतिम रूप दे।	आपदा प्रबंधन विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
9	उपाध्यक्ष ने बताया कि 10वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुराना सचिवालय में पुलिस मुख्यालय को आबंटित जो भवन खाली होने वाला है उसे प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार आबंटित किया जाए। परंतु उक्त भवन के खाली हो जाने के बाद अभी तक उसे प्राधिकरण को आबंटित नहीं किया गया है। प्रस्ताव दिया गया कि प्राधिकरण के लिए एक स्वतंत्र भवन के निर्माण पर भी विचार किया जाए।	निर्णय हुआ कि प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए मीठापुर में कृषि विभाग एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराए। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकरण से विमर्श कर उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधा युक्त 'आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन' का निर्माण कराया जाएगा।	कृषि विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भवन निर्माण विभाग
10	प्राधिकरण की 10वीं बैठक के निर्णयानुसार राज्य कार्यकारणी की बैठक में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को आदेश निर्गत करना था जो अब तक नहीं हो सका है।	माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया।	आपदा प्रबंधन विभाग
11	प्राधिकरण की 10वीं बैठक के निर्णयानुसार SDRF में टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 50 करने की कार्रवाई होनी थी।	माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं गृह विभाग को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया।	आपदा प्रबंधन विभाग गृह विभाग
12	प्राधिकरण की 10वीं बैठक बैठक में निर्णय लिया गया था कि बिहार के समतल इलाकों में वर्ष 2017 में आए बाढ़ के कारणों का अध्ययन संयुक्त रूप से NDMA एवं	निर्णय हुआ कि अध्ययन की अब आवश्यकता नहीं रह गयी है। अतएव इसे एजेन्डा से हटाया जाए।	————

	BSDMA द्वारा कराया जाय। प्राधिकरण द्वारा लगातार इस संबंध में पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु NDMA द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गई।		
13	प्राधिकरण की 10वीं बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री का सुझाव था कि राज्य के सभी निजी नावों में सरकार की ओर से लाईफ जैकेट उपलब्ध कराया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त सुझाव का परीक्षण कर ठोस प्रस्ताव लाने का निदेश दिया गया था।	"प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा परिवहन विभाग, बिहार, पटना को एक पत्र दिया गया है, जिसमें यात्री ढोने वाले नावों के पंजीकरण के समय नावों पर पर्याप्त संख्या में लाईफ जैकेट उपलब्ध होने पर ही नावों को पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया है।"	आपदा प्रबंधन विभाग
14	पटना एवं अन्य शहरों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना।	माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि ट्रैफिक पार्क के लिए पटना में वीर कुँवर सिंह पार्क में जगह दे दी जाय। पटना में ट्रैफिक पार्क की उपयोगिता को देखकर अन्य शहरों में इसकी स्थापना पर विचार किया जाएगा।	परिवहन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
15	इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के इस्तेमाल का मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना में सम्मिलित करने के निदेश का अनुपालन।	शिक्षा विभाग ने बताया कि अनुपालन हो रहा है।	अनुपालित
16	प्राधिकरण द्वारा सुपौल एवं अररिया जिलों के 400 विद्यालय भवनों के कराये गए RVS पर शिक्षा विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का निदेश	शिक्षा विभाग ने बताया कि इन 400 विद्यालयों का रेट्रोफिटिंग कार्य इसी वित्तीय वर्ष में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से पूर्ण करा लिया जाएगा। निदेशित किया गया कि इस कार्य में प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित शिक्षा विभागीय अभियंताओं का भी उपयोग किया जाए।	शिक्षा विभाग
17	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना।	माननीय मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निदेशित किया कि संस्थान की स्थापना DMI के अंतर्गत एक केन्द्र के रूप में करने की संभावना पर विचार कर प्रस्ताव दिया जाए।	आपदा प्रबंधन विभाग

18	Satellite based flood Insurance Cover के संबंध में सहकारिता विभाग को विचार करने का निर्देश दिया गया था।	चूँकि Crop Insurance के संबंध में अलग योजना संचालित है, अतएव इस बिन्दु को कार्यावली से हटाने का निर्णय हुआ।	---------- 286
19	उपाध्यक्ष ने बताया कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सचिवालय एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी, 2018 से प्रारंभ है। अभी तक 810 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आगे का कार्यक्रम बिपार्ड द्वारा तैयार किया गया है।	माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि इस प्रशिक्षण में सभी पदाधिकारी भाग लें, इसे सुनिश्चित किया जाए।	सामान्य प्रशासन विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिपार्ड
20	DDMA मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देने के संबंध में।	उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि DDMAs में पूर्णकालिक रूप से उप समाहर्त्ताओं की नियुक्ति के उपरांत ही मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देना उचित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा DDMAs में पूर्णकालिक उप समाहर्त्ताओं की नियुक्ति करने का निर्णय हुआ।	सामान्य प्रशासन विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

2.3 – गत बैठक से अब तक प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण :–

क्र0सं0	कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/निदेश	अनुपालन का दायित्व
	1	2	3
1	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग से नामित 605 शिक्षकों को राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। इनके माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के संबंधित जिलों में प्रत्येक सरकारी एवं निजी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों (मदरसों सहित) में एक–एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित कर इन सभी विद्यालयों में 'सुरक्षित शनिवार' के कैलेण्डर के अनुसार आपदाओं	निर्णय हुआ कि शिक्षा विभाग सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (मदरसों सहित) में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से संचालित कराए। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम का अनुश्रवण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया जाए।	शिक्षा विभाग सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

285

	से सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र में संचालित करनी हैं। शिक्षा विभाग ने अब तक 64069 विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। प्राधिकरण ने पटना के निजी विद्यालयों के 900 से भी अधिक फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है तथा मदरसा बोर्ड से समन्वय कर मदरसों के फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु तैयारियाँ की जा रही हैं। प्राधिकरण ने 'सुरक्षित शनिवार' का अवधारणा पत्र एवं प्रशिक्षण सामग्रियाँ विकसित कर सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया है ताकि हर विद्यालय तक वह पहुँचा दिया जाए।		
2	पंचायत प्रतिनिधियों तथा प्रखंड प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्षों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड से नामित 1–1 मुखिया एवं सरपंच को मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण दिया गया है जो प्रखंड स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। राज्य में कुल 2.40 लाख के लगभग पंचायत प्रतिनिधि हैं। कोशिश है कि इन सभी को प्रशिक्षित कर दिया जाए। हालांकि सभी जिलों में प्रशिक्षण सम्पन्न होने की सूचना है, परंतु अभी तक मात्र 13 जिलों से कुल 71464 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किये जाने संबंधी ऑकड़ा प्राप्त है। प्राधिकरण ने राज्य स्तर पर अब तक 287 प्रमुखों एवं 16 जिला पर्षद अध्यक्षों को	माननीय मुख्यमंत्री ने निदेशित किया कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित किया जाए। उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्त्तमान एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजना में शामिल है तथा माड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण अंतिम चरण में है। नगर विकास विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि वे बचे हुए पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्य शीघ्रता से पूरा कर ऑकड़े प्राधिकरण को भेजें।	नगर विकास विभाग सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

	प्रशिक्षित किया है। इनका प्रशिक्षण जारी है।		
3	सुरक्षित नौका परिचालन संबंधी कार्ययोजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा चयनित 29 जिलों के 163 नाविकों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान (NINI) के सहयोग से दिया गया। जिलों द्वारा इन मास्टर ट्रेनर तथा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से विभिन्न घाटों पर नाव परिचालन करने वाले नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। नालंदा जिला छोड़कर शेष 28 जिलों में प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है एवं कुल 5401 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा 494 नाव निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। शेष का प्रशिक्षण जारी है।	माननीय मुख्यमंत्री ने निदेशित किया कि नालंदा जिले में भी प्रशिक्षण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाए। सचिव, परिवहन विभाग ने आश्वस्त किया कि जिले में प्रशिक्षण कार्य शीघ्र सम्पन्न करवा दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन घाटों से नावों का परिचालन हो रहा है उनकी निलामी के एकरारनामे में सुरक्षित नौका परिचालन की शर्त्त भी जोड़ी जाएगी। साथ ही यदि सैरात सूची से बाहर किसी नए घाट से नावों का परिचालन हो रहा हो तो उक्त घाट को भी सैरात सूची में शामिल किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग एवं स्थानीय थाना सुरक्षित नौका परिचालन संबंधी नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करावें।	जिला पदाधिकारी, नालंदा परिवहन विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पुलिस महानिदेशक/गृह विभाग
4	डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं शमन संबंधी कार्ययोजना के अनुसार सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में नदियों के किनारे स्थित जिलों से नामित युवकों को गॉवों/मुहल्लों के 6–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को तैराकी प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	माननीय मुख्यमंत्री ने निदेशित किया कि सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम उन गाँवों में भी संचालित हो जहाँ बड़े–बड़े तालाब अवस्थित हैं। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए ताकि अभिभावक भी जागरूक हो सकें।	सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5	अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्राधिकरण के सदस्य डॉ0 उदय कांत मिश्र ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निदेशानुसार उनके स्तर से पटना के 10	प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने निम्न निदेश दिए :– (1) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, डॉ0 मिश्र की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, उर्जा विभाग, गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय तथा योजना एवं विकास विभाग	भवन निर्माण विभाग उर्जा विभाग सदस्य, डॉ0 मिश्र

1283

	बड़े सरकारी अस्पतालों में आग से सुरक्षा हेतु कार्यक्रम सघन रूप से चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप सभी अस्पताल काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं।	की बैठक आहूत कर सभी सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें। (2) सभी सरकारी भवनों के विद्युत भार के आकलन एवं जर्जर तार बदलने की कार्रवाई की जाय।	
6	इस वर्ष जून माह में लू से राज्य के कई जिलों में मौतें हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार गया, नवादा एवं औरंगाबाद जिलों में हुई मौतों के कारणों का अध्ययन प्राधिकरण द्वारा कराए जाने की जानकारी उपाध्यक्ष ने दी।	निर्णय हुआ कि जिला प्रशासनों के माध्यम से लू से हुई मौतों के कारणों की जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है, अतएव अब आगे अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः अध्ययन बंद करा दिया जाए।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

3. – प्राधिकरण की वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं बजट प्रस्तावों का अनुमोदन :–

उपरोक्त कंडिका 2 में दिए गए निदेशों को आवश्यकतानुसार कार्ययोजना में शामिल करने के निर्णय के साथ दोनों वर्षों की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं बजट प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। (अनुलग्नक पर संधारित)

4. – बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30 के विभाग/एजेन्सी वार कार्यान्वयन की समीक्षा :– रोडमैप में प्रावधानित है कि कार्यान्वयन की समीक्षा प्राधिकरण की वार्षिक बैठकों में की जाएगी। परंतु बाढ़ में व्यस्तता के कारण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण तैयार नहीं किया जा सका था। फलतः समीक्षा नहीं हो सकी। अगली बैठक में समीक्षा होगी।

(कार्यान्वयन – आपदा प्रबंधन विभाग)

5. – अन्यान्य :– इस कार्यावली में उल्लिखित बिन्दुओं पर हुई चर्चाओं के आलोक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

(क) भवन निर्माण विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में गठित "तकनीकी परामर्शी सेल" में पदस्थापित अभियंताओं की सूची प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि प्राधिकरण उनके क्षमतावर्धन की कार्रवाई कर सके।

(कार्यान्वयन – भवन निर्माण विभाग/बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

(ख) राज्य सरकार में संविदा पर पदस्थापित सेवानिवृत्त कर्मी 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकते हैं। हाल में राज्य सरकार द्वारा Case to Case basis पर उनके कार्यरत रहने की आयु सीमा को 65 वर्ष से 67 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। व्यक्ति विशेष के संदर्भ में आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित हैं। बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राधिकरण को परामर्श संसूचित है कि यह निर्णय मात्र राज्य सरकार के विभागों पर ही लागू है। अतएव प्राधिकरण अपनी नियमावली में यथावांछित संशोधन कर ऐसी व्यवस्था कर सकता है। वर्त्तमान में प्राधिकरण की नियमावली में न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं है तथापि राज्य सरकार में लागू नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है।

निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण में पदस्थापित राज्य/केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त कर्मियों को Case to Case basis पर 67 वर्ष की आयु सीमा तक संविदा विस्तार दिया जा सकता है बशर्ते कि उनका कार्य संतोषजनक पाया जाए।

(कार्यान्वयन – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

(ग) प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की आयुसीमा, मानदेय में वृद्धि एवं कतिपय नए पदों के सृजन के संबंध में दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान निदेश दिया गया कि प्राधिकरण में विशेषज्ञता वाले पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति एवं शेष पदों पर नियमित नियुक्ति की आवश्यकता का परीक्षण कर ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए जिसपर सरकार स्तर पर अलग से विचार कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रस्ताव में आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता एवं वेतनमान/मानेदय आदि के बिन्दुओं को भी समाहित किया जाए।

(कार्रवाई – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग)

अंत में बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई ।

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण